प्रताप नगर में निजी स्कूल संचालक ने सरकारी नाला तोड़कर सड़क पर किया 10 फीट का अवैध कब्जा

सेक्टर-17 स्थित बंसल स्कूल की बिल्डिंग के चारों तरफ पहले तो सड़क पर 10 फीट की दूरी में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर फुटपाथ बनाया और अब यहां तारबंदी करके कब्जा कर लिया गया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सांगानेर क्षेत्र के प्रताप नगर सेक्टर-17 में "बंसल स्कूल" (पूर्व में जे.वी.पी. स्कूल) के संचालकों ने सरकारी नाले को तोड़कर उसमें मिट्टी का भराव करके यहां 10 फीट का अवैध फुटपाथ बनाकर सड़क पर कब्जा कर लिया। यह कारगुजारी करीब 4-5 वर्ष पहले हुई थी, उस समय नगर निगम की जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर ने स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता उपायुक्त को भी पत्र लिखा था, परंतु इस प्रकरण में पिछले 4 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मानसून से पहले स्थानीय लोगों को पुन: नाला बंद होने के कारण जलभराव की चिंता सता रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि, बंसल पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग की बाउंड्रीवाल से सटाकर सरकारी नाला है, जिसे वर्ष 2022 में खुर्द-बुर्द करके रातोंरात इसमें मिट्टी का भराव करके इंटरलॉकिंग टाइल्स का चबूतरा बना दिया। आम रास्ते की सड़क पर करीब 10 फीट तक पहले तो अवैध निर्माण किया और अब यहां तारबंदी करके पूरी तरह कब्जा भी कर लिया। अब यहां तक स्कूल की अवैध वाहन पार्किंग करवाई जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि 1 दिसंबर 2021 को स्थानीय कॉलोनीवायिों ने इस प्रकरण की शिकायत नगर निगम मुख्यालय में दर्ज करवायी थी और जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर को भी अवगत कराया। जोन स्तर पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो अधिकारी भी हैरान रह गए कि, आखिर कोई निजी स्कूल कैसे सरकारी नाले को तोड़कर सड़क पर अवैध कब्जा कर सकता है। सरकारी जमीन पर इस अवैध कब्जे पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर ने 22 मार्च 2022 को तत्कालीन सतर्कता उपायुक्त को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने साफ जिक्र किया कि, "वार्ड 115 में सेक्टर-17 स्थित जे.वी.पी. स्कूल के स्वामी द्वारा सरकारी नाली को तोड़कर और भराव करके पूर्ण रूप से मिट्टी डालकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा ली गई है, यह सरकारी सड़क पर अवैध अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए पूर्व में भी आपकों पत्र लिखा गया था, इस संबंध में बार-बार जोन कार्यालय में शिकायतें आ रही है। इसलिए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।"

इस अतिक्रमण और अवैध कब्जे करीब सवा 4 साल बीत चुके हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन अभी तक नहीं चेता। अब मानसून से पहले पुन: स्थानीय कॉलोनीवासियों को चिंता सता रही है कि अगर नाली बंद पड़ी रही तो इस बार भी सड़क पर बारिश का पानी भरेगा।

हैरानी की बात यह है कि सड़क पर छोटे-छोटे थड़ी-ठेले लगाकर पेट पालने वाले रेहड़ी संचालकों पर तो नगर निगम की सतर्कता विंग आये दिन कार्रवाई करती रहती है, लेकिन निजी स्कूल संचालक पर कार्रवाई करने का मामला पिछले सवा 4 साल से क्यों दबा हुआ है। ऐसे में अब इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

बंसल पब्लिक स्कूल के पास बना हुआ सरकारी नाला, जिसे मिट्टी से भरकर अब यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स का फुटपाथ व तारबंदी करके अवैध कब्जा किया गया।

- **ज्ञात रहे कि नगर निगम के जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर ने 4 वर्ष पूर्व 22 मार्च 2022 को सतर्कता उपायुक्त को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था, परंतु निगम प्रशासन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया**
- **जबकि स्थानीय लोग पिछले 5 वर्ष से लगातार नगर निगम को शिकायतें दे रहे हैं, परंतु स्कूल प्रबंधन की मनमानी और रसूख के आगे अधिकारियों ने चुप्पी साधी**

बेसमेंट खुदाई में मिट्टी ढहने 3 महिला श्रमिकों की मौत

- **बिहार की रहने वाली थीं तीनों महिलाएं, पुलिस जांच में जुटी**

जयपुर। करणी विहार क्षेत्र में गांधी पथ स्थित एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में गुरुवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया, जिससे वहां काम कर रही तीन महिला श्रमिक मलबे के नीचे दब गईं। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि यह हादसा गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुआ। निर्माणाधीन भवन के बेसमेंट की गहरी खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान नीचे मिट्टी समतल करने और खुदाई कार्य में लगी तीन महिला मजदूरों के ऊपर ऊपरी हिस्से की कटी हुई मिट्टी का बड़ा ढेर अचानक गिर पड़ा। महिलाओं को संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वे मलबे में दब गईं। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फावड़ों और हाथों की मदद से मलबा हटाकर तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही करणी विहार और वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया गया।

थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों महिलाओं को बचाने के लिए सीपीआर सहित सभी आवश्यक चिकित्सा प्रयास किए, लेकिन उनकी हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान बिहार निवासी सुनीता देवी, आनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है। तीनों महिलाएं मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं और निर्माण स्थल पर कार्यरत थीं। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि बेसमेंट की गहरी खुदाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे या नहीं। मिट्टी को रोकने के लिए शटरिंग अथवा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था थी या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार, साइट इंचार्ज और अन्य जिम्मेदार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। मामले में निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की संभावित अनदेखी को लेकर कानूनी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है तथा मृतक महिलाओं के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शहरी सेवा शिविर में आज से 15 जुलाई तक सरकार देगी "राहत की सौगात"

- **अभियान अवधि में 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने, साफ-सफाई, सड़क मरम्मत व पेच वर्क, स्ट्रीट लाईटों व नालियों की मरम्मत, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन, कई तरह की एनओसी व प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले "शहरी सेवा शिविर-2026" की तैयारियों को लेकर गुरूवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव यूडीएच आलोक गुप्ता एवं स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने राज्य स्तरीय बैठक ली। इस अभियान के दौरान 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना, शहरों के वृहद् स्तर पर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, पेच वर्क कार्य, स्ट्रीट लाईटों को दुरस्त करना, नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हॉल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लिकेज की मरम्मत, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड-लाईसेंस, साईनेज लाईसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी-मोबाईल टावर एनओसी, ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र जारी करने, राजकीय विभागों की फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करने, मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना तथा कुसुम योजना में राहत कार्य होंगे।

गुप्ता ने कहा कि अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले सभी प्रकरण उसी अवधि में ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करें, कोई मामला लंबित नहीं रहे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षो की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-2026 तक एक मुश्त शहरी सेवा शिविर में जमा करने पर ब्याज 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। पिछले वर्षो की बकाया लीज राशि अभियान अवधि में जमा कराने पर एवं फ्री होल्ड के लिए10 वर्ष तथा लीज मुक्ति के लिए 8 वर्ष की लीज राशि शहरी सेवा शिविर में अग्रिम एकमुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान नामान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के आवंटियों द्वारा बकाया किस्तों की एकमुश्त जमा राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट देते हुए नियमन किया जाएगा। लॉटरी से आवंटित आवासीय भूखण्डों के 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विक्रय किए जाने के प्रकरणों में शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

साथ ही लॉटरी अथवा नीलामी के माध्यम से आवंटित ऐसे आवासीय भूखण्ड, जिनकी नीलामी/आवंटन राशि पूर्ण रूप से जमा हो चुकी है, उन्हें बिना ब्याज एवं शास्ति के पट्टा जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 लागू होने से पूर्व जिन प्रकरणों में धारा 90-ए की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी, उन सभी प्रकरणों में अभियान अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर पुरानी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित किए जाएंगे।

अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल्ली-तमिलनाडु से बारूद मंगवाते थे आरोपी, फिलहाल दोनों फरार

खोह-नागोरियान क्षेत्र में पांच और अवैध पटाखा फैक्ट्रियां मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया, फरार बदमाशों की भी तलाश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। खोह नागोरियान क्षेत्र में हुई भीषण पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। उसका संचालन कयूम और याकूब नामक दो भाई अवैध रूप से कर रहे थे। हादसे के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोपी कयूम के खिलाफ पहले से छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 1996 में मालवीय नगर थाने में मारपीट का पहला मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 1997 में मालवीय नगर थाने में ही धारा 147, 341 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वर्ष 2002 में दौसा के महुआ क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। वर्ष 2008 में धोखाधड़ी, 2013 में ज्योति नगर थाने में दुष्कर्म तथा 2024 में खोह नागोरियान थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस कयूम को आदतन अपराधी मान रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी दिल्ली और तमिलनाडु से अवैध रूप से बारूद मंगवाकर जयपुर में पटाखों का निर्माण करवा रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि जयपुर में पांच अलग-अलग स्थानों पर अवैध पटाखा निर्माण इकाइयां संचालित की जा रही थीं। यहां तैयार पटाखों की सप्लाई जयपुर के अलावा दिल्ली और अन्य राज्यों में भी की जाती थी।

एफआईआर में फिरोज नामक एक अन्य आरोपी को भी नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार फिरोज दिल्ली से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दिल्ली में भी सक्रिय है।

हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों एवं गोदामों पर कार्रवाई करते हुए कई इकाइयों को सीज किया और बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की। गुरुवार को पूरे क्षेत्र में सघन डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत उन मकानों और गोदामों की पहचान की जा रही है, जहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण, प्लास्टिक गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। साथ ही बाहरी राज्यों से आकर किराये पर रह रहे लोगों का सत्यापन भी किया जा रहा है। पुलिस ने पूर्व में तीन गोदामों और फैक्ट्रियों से पटाखा निर्माण में उपयोग होने वाले गत्ते के खाली खोल भी बरामद किए थे।

अग्निकांड में जान गंवाने वाले दो और मृतकों की पहचान हो गई है। इनमें गाजियाबाद निवासी नासिर और दिल्ली निवासी रेहान शामिल हैं। दोनों हादसे के समय फैक्ट्री के भीतर मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

इस भीषण हादसे में अब तक समीर, आजिम, अब्दुल वहीद, रबिल, बिलाल, अशरफ, नासिर और रेहान सहित कुल आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ-साथ पूरे अवैध पटाखा निर्माण नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहन जांच कर रही है।

अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक आरोपी कयूम और याकूब

मानवाधिकार आयोग का संज्ञान, 30 तक मांगी रिपोर्ट

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में अवैध तरीके से चल रही पटाखा एवं विस्फोटक सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग में आठ मजदूरों की मौत मामले स्वत: संज्ञान लिया है। जयपुर कलक्टर, पुलिस आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, प्रमुख गृह सचिव तथा स्थानीय निकाय निदेशक से घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 जून तक मांगी है। आयोग ने इन्हें कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में होटलों, गोदामों, जोखिमपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मीडिया में आई खबरों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। आयोग ने कहा कि क्षेत्र के 100 से अधिक घरों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियां संचालित होने की बात सामने आई है।

एमएनआईटी जयपुर में बनेंगी क्वांटम-एआई लैब

जयपुर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम संचार प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा की। ये प्रयोगशालाएं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी अकादमिक परियोजना के तहत स्थापित की जाएंगी।

वैष्णव ने कहा कि वर्तमान तकनीकी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) द्वारा संचालित है, जबकि आने वाले समय में क्वांटम प्रौद्योगिकी अगली बड़ी तकनीकी लहर साबित होगी। नई प्रयोगशालाएं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन और क्वांटम सेंसिंग हार्डवेयर के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने एमएनआईटी को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान बनने का आ ान भी किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छात्रों को के सेमीवर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का प्रशिक्षण मिलेगा। इस डिजिटल ट्विन आधारित प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी 3डी मॉडल के जरिए चिप निर्माण प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे और वर्चुअल वातावरण में उनका अभ्यास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी।

जेडीए में बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोलने के लिए हर जोन में टैंडर कर रहे इंजीनियर?

जबकि जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मीटिंग में सख्त आदेश दिए थे कि इस बार बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोलने का काम केन्द्रीय स्तर पर होगा, जो मुख्यालय के स्तर पर खुलेगा

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में अब एक्सईएन से लेकर एईएन और जेईएन जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। जेडीए के मुख्यालय स्तर पर फ्लड कंट्रोल रुम खोलने के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपने अपने जोनों में इस कार्य के लिए अलग से टैंडर कर रहे है।

सूत्रों ने बताया कि जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मीटिंग में सख्त आदेश दिए थे कि इस बार बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोलने का काम केन्द्रीय स्तर पर होगा, जो मुख्यालय के स्तर पर खुलेगा। हर बार की तरह एक नियंत्रण कक्ष बनीपार्क में फायर स्टेशन में होगा, जबकि दूसरे आठ अलग-अलग जोन में खुलेंगे। इनमें काम आने वाले सामान मड पंप, मिट्टी के कट्टे, जेसीबी, ट्रेक्टर ट्रॉली, पानी निकालने वाले पंप आदि होंगे। किसी भी जोन में कोई पानी भरने या अन्य समस्या आती है जो मुख्यालय के एसई, और एक्सईएन डिमांड पूरा करेंगे। कोई भी जोन अपने स्तर पर अलग से टैंडर कर खरीद नहीं करेगा।

- **जोन-11 ने बाढ़ नियंत्रण के काम के लिए 24 लाख रुपए का टैंडर निकाला, तो अन्य जोनों ने भी निकाली गली**
- **पीआरएन, जोन-12, जोन-7 के इंजीनियर्स ने पेचवर्क के काम में मड पंप, डीजल पंप, ट्रेक्टर ट्रॉली, जेसीबी, वेक्यूम डी वाटरिंग पंप के कार्य मंजूर करवाए**

सूत्रों ने बताया कि जेडीसी के इन आदेशों की अब जोन स्तर पर अवहलेना हो रही है। अलग अलग जोन में एक्सईएन बाढ़ नियंत्रण के इंतजाम के लिए अलग से टैंडर निकाल रहे हैं। ताजा मामला जोन 11 का है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण के काम के लिए 24 लाख रुपए का टैंडर निकाला गया है। इसके लिए जोन के एक्सईएन तरूण सिंघल ने जो टैंडर निकाला है, उसमें भी वहीं आईटम लिए गए है, जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष उन्हें मुहैया कराएगा। जोन 11 का एरिया अजमेर रोड के दक्षिण भाग से लेकर महिन्द्रा सेज बगरु तक है। इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है, जो कच्ची बस्ती हो अथवा जहां जेडीए को अलग से बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोलना पड़े। इसके बाद भी एक्सईएन ने बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से 24 लाख रुपए का टैंडर जारी कर दिया। इसकी अंतिम तारीख 15 जून है।

सूत्रों का कहना है कि, जेडीए के दूसरे जोनों में भी इंजीनियर्स ने जेडीसी के आदेशों को दरकिनार करते हुए गली निकाल ली है। उन्होंने अब बाढ़ नियंत्रण में काम आने वाले आईटम पेचवर्क में मंजूर करा लिए हैं। मसलन पीआरएन, जोन 12, जोन 7 में गली निकाल ली है। इन जोनों में पेचवर्क के काम में मड पंप, डीजल पंप, ट्रेक्टर ट्राली, जेसीबी, वेक्यूम डी वाटरिंग पंप को शामिल कर लिया है। इस कारगुजारी से एक ही काम के लिए अलग-अलग टैंडर खोलने से जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। जेडीए के मुख्यालय स्तर पर भी इसी काम के लिए टैंडर किए जाएंगे।

सार-समाचार

कॉलेज गेस्ट फैकल्टी को राहत मिली

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश के कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्यरत प्रार्थी शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें आगामी सत्र तक सेवा में बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगते हुए सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। अवकाशकालीन जस्टिस उमाशंकर व्यास व अवकाशकालीन जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. नरेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए। खंडपीठ ने माना कि किसी संविदाकर्मी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे संविदाकर्मी की नियुक्ति नहीं की जा सकती तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही होनी चाहिए। वहीं खंडपीठ ने अपने आदेश में जोधपुर जोधपुर मुख्यपीठ के 15 अप्रैल 2026 को डॉ. सुनील बिश्नोई एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जिसमें राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया था। प्रार्थी की ओर से सीनियर एडवोकेट वीरेन्द्र लोढ़ा ने पैरवी कर 8 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 309 की भावना के विपरीत बताते हुए चुनौती दी। वहीं याचिका में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी की "हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स, 2023" को निरस्त करने तथा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम, 1986 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। इसके अलावा 30 अप्रैल 2026 के विज्ञापन को भी रद्द करने का आग्रह कर कहा कि प्रार्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर तब तक रखा जाए, जब तक कि 1986 के नियमों के तहत नियमित चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती।

'स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। अदालत ने कहा कि जब तक स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण या किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन में जारी नहीं किया गया हो, तब तक अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जस्टिस उमा शंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश छत्रपाल सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ट्रांसफर नीति केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है। यह ऐसा वैधानिक नियम नहीं है, जिसे अदालत के माध्यम से लागू कराया जा सके। याचिका में कहा गया कि वह रक्षा मंत्रालय के कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के जयपुर कार्यालय के स्टोर एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने 3 फरवरी 2025 को उसका तबादला जयपुर से मुंबई स्थित मुख्यालय कर दिया। विभाग की साल 2011 की ट्रांसफर नीति के अनुसार लॉन्गेस्ट स्टेई और चॉइस स्टेशन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए था। जयपुर में उससे अधिक समय से कार्यरत कई कर्मचारी मौजूद थे, फिर भी केवल उसे ही स्थानांतरित कर किया गया। याचिका में कहा कि उसने बोनस भुगतान से संबंधित शिकायत रक्षा मंत्री को ई-मेल के माध्यम से भेजी थी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। इस कारण विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया। यह स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के नाम पर मनमाने ढंग से किया है और वास्तव में ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, जिसके चलते उन्हें लगभग 1200 किलोमीटर दूर मुंबई भेजा गया। विभाग की ओर से कहा कि मुंबई मुख्यालय के सचिवालय शाखा में कर्मचारियों की कमी थी और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कर्मचारियों को वहां भेजना जरूरी था।

बैंक प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

जयपुर। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन के प्रांतीय उप महासचिव बैंककर्मी नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी 80 वर्षीय बैंक ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन का 30 वां राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि सत्र राजन नागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। आमेरा ने बताया कि कारगिल से कन्याकुमारी तक देश के सभी प्रांतों से कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंकों के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान से सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा, आर.जी.शर्मा, रामावतार शर्मा, महेश शर्मा, एम.एस.भटेजा, नरपत गहलोत, राहुल पांडे, रविकांत शर्मा, रविदीप चतुर्वेदी, टी.सी.झालानी, मेघा मलिक, शिखा बंसल, रामबाबू गुप्ता समेत 55 प्रतिनिधि पहुंचे। सत्र में बैंक कर्मियों के लिए पाँच दिन का कार्य सप्ताह, पार्ट टाइम संविदा कर्मियों को नियमित करने, समुचित भर्ती, सीसीबी को अपैक्स बैंक में विलय कर सहकारी बैंको में टू टियर बैंकिंग लागू करने, सहकारी बैंकों का आर्थिक पुनरुत्थान करने, सहकारी बैंकों में रिजर्व बैंक के फिट एंड प्रॉपर मानदंड अनुरूप प्रबंध निदेशक लगाने, ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर बैंक में विलय करने, महिला बैंक कर्मियों को चाइल्ड केयर लिव देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।